न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 133–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–8–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 370/अपील/2007–08

.....

मोहनलाल आत्मज स्व.श्री हरप्रसाद मीना
निवासी ग्राम पिपलिया खाकी तहसील बाडी
बरेली जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–महाराज सिंह आत्मज स्व.श्री रामकिशन मीना
2–राधेश्याम आत्मज स्व0श्री रामकिशन मीना
3–हरिसिंह आत्मज स्व0श्री किशोरीलाल मीना
4–रघुवीर सिंह आत्मज स्व.श्री किशोरीलाल मीना
5–होशियार सिंह आत्मज स्व.श्री किशोरीलाल मीना
6–रामस्वरूप आत्मज स्व.श्री किशोरीलाल मीना
निवासीगण ग्राम पिपलिया खाकी तहसील बाडी
बरेली जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ0पी0 दुबे, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/11/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पिपल्या खाकी स्थित प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर दिनांक 4–6–1976 को बटवारा आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–08 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–8–2012 को द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण दिनांक 30–8–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 30 वर्ष पूर्व हुये आपसी सहमति से बटवारे को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) वर्ष 1976 में हुये आपसी बटवारे के अनुसार उभयपक्ष अपने अपने हिस्से की भूमियों का बटवारा भी कर लिया गया है तथा कुछ भूमि को विकय भी किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुये फर्जी हस्ताक्षर कर बटवारा आदेश पारित कराया गया है, अपील प्रस्तुत की गई थी और अनावेदक कमांक 1 के कथन को सही मानकर आदेश पारित किया गया है जबकि इसमें विधिवत् जॉच होना आवश्यक थी । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया संहिता की धारा 178 के

प्रावधानों से हटकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, क्योंकि सहखातेदारों के बीच असमान बटवारा आदेश पारित किया गया है । स्वअर्जित संपत्ति को शामिल कर बटवारा किया गया है , ऐसा आदेश विधि विरूद्ध नियमों से परे है तथा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो गलत है इसलिये तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ प्रकरण में शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पंजी पर असमान बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसको निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय प्रत्यावर्तित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है तथा अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही गई है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–8–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर